सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो।

तेवर वही, अंदाज नया ......!

साप्ताहिक

उज्जैन टाइम्स

प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा

डाक रजिस्ट्रेशन नं. मालवा डिवीजन-
L2/65/RNP/397/2024-2026

RNI No. 7583/61

● वर्ष : 63, अंक : 40 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 02-07-2024 से 08-07-2024 तक ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

हिन्दुओं पर बयान दे फंस गए राहुल गांधी?

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा और नफरत फैलाने' में लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की।

हालांकि, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में कहा, ''भाजपा, नरेन्द्र मोदी जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पूरा हिंदू समाज नहीं हैं। हम भी हिंदू हैं।'' बाद में केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर पलटवार किया। दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ''सभी धर्मों और हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और निडरता की बात की है। वे कहते थे कि डरो मत, डराओ मत। शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत।

वह अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं।''

इस पर सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तरीके से विरोध जताने लगे। राहुल ने कहा, ''आप हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि तीर दिल में जाकर लगा है।''

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सदन में राहुल पर हमला बोला फिर बाद में सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं, यह बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है।

इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।'' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने भाषण में झूठ और नफरत का मिश्रण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहले दिन का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह न तो 2024 के जनादेश (उनकी लगातार तीसरी हार) को समझ पाए हैं और न ही उनमें कोई विनम्रता है।

नहीं पहुँचे एकाउंट में पैसे खटाखट-खटाखट...खातूनों, अब चप्पल बरसाओ, सटासट-सटासट...।

सम्पादकीय

तालीबानी सजा

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भीड़ के बीच एक महिला और पुरुष की बुरी तरह पिटाई की घटना अराजक हो चुके लोगों और नाकाम हो चुकी सरकार का ही उदाहरण लगती है। खबरों के मुताबिक, विवाहेतर संबंधों के आरोप पर गांव में एक कथित सभा बुला कर युवा जोड़े को सजा के तौर पर सबके सामने बर्बरता से पीटा गया। एक वीडियो में भीड़ के बीच एक व्यक्ति महिला और पुरुष की जिस तरह पिटाई करता दिखता है, वह हैरान करने वाला है। वहां खड़े लगभग सभी लोग मूकदर्शक थे और कहीं भी पुलिस या प्रशासन का दखल नहीं दिख रहा था। सवाल है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार या गतिविधि को अपराध तय करने और उसे सजा देने का अधिकार कुछ अराजक, अपराधी तत्वों या भीड़ को किसने दे दिया! हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने महिला और पुरुष को पीटने के मुख्य आरोपी से कोई संबंध होने से इनकार किया, मगर बताया जा रहा है कि वह शख्स इसी पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है।

किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन-तंत्र की हर स्तर पर मौजूदगी के दावे वाले राज्य में हुई यह घटना जिस प्रकृति में देखी गई, उससे यही लगता है कि या तो अपराधी तत्वों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या फिर उनके बीच सरकार या पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अराजकता के आलम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते एक हफ्ते के दौरान राज्य में भीड़ द्वारा हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं।

खुद पुलिस के मुताबिक, हाल में राज्य में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या किए जाने की यह चौथी घटना है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने खुद को न्यायालय मान लिया है और वे मनमाने तरीके से फैसला कर डालते हैं। हैरानी की बात है कि राज्य में कई जगहों पर किसी कथित 'कंगारू कोर्ट' या सभाओं में सामाजिक मसलों पर महज आरोप के बाद आनन-फानन में ऐसे फैसले सुना दिए जाते हैं, जो अराजकता का ही उदाहरण है। ऐसी किसी घटना के तूल पकड़ने के बाद पुलिस आनन-फानन में कार्रवाई करती दिखती है, लेकिन इससे पहले सरकार और उसका शासन-तंत्र कहां होता है?

क्या केन्द्रीय बजट में मध्यमवर्ग को राहत की गुंजाईश है?

बजट सरकार के वित्त का सबसे विस्तृत ब्यौरा होता है जिसमें सभी स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व और सभी मदों पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। आय-व्यय के विवरण सरकार के समष्टिभावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के हिसाब से तैयार किये जाते हैं। इसलिए बजट सरकरी नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। बजट के पहले भाग में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और नीतियों का ब्यौरा होता है और दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आने के बाद अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है।इसलिए अब आम लोगों के लिए बजट की उत्सुकता पहले की अपेक्षा कम हो गई है। हाँ, जो लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, उनके लिए अवश्य इसकी उत्सुकता अधिक होती है। सरकार के व्यय करने के कार्यक्रमों और नीतियों के सन्दर्भ में भी अब जनता अधिक जागरूक है।

उच्च संवृद्धि, तेजी से बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, नियंत्रित मुद्रास्फीति और बजट अनुमानों की तुलना में राजकोषीय घाटे में कमी से लगता है कि इस समय देश में आर्थिक हालात अच्छे हैं। हालांकि रुपये का थोड़ा सा अवमूल्यन हुआ है और भुगतान संतुलन का चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7% है। परन्तु विदेशी मुद्रा भंडार 665.8 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो फिर बजट में मोदी सरकार के सामने चुनौती इस विकास को बनाए रखने और मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने की है।

स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं दोगुना खर्चीली हो गई हैं जिनसे हरेक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। परन्तु आधिकारिक मुद्रास्फीति दर 5 प्रतिशत से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय नहीं बढ़ रही है। बजट में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त अलग से रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों एवं व्यवसायों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। ÷इज ऑफ डूइंग बिज़नेस' में सुधार भले हुआ हो, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से भ्रष्टाचार कम होने का दावा भले ही किया जा रहो, परन्तु जमीनी वास्तविकता यह है कि सुगमता एवं स्वतंत्रता के साथ व्यवसाय करने की जद्दोजहद कम नहीं हुई है, राज्य एवं जिला स्तरों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लगातार बढ़ती अफसरशाही ने इन्स्पेक्टर राज को मजबूत किया है।

बजट में कर में छूट और सामाजिक व्यय में वृद्धि की उम्मीद है। पिछले बजटों में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे जीडीपी को बढ़ावा मिला। परन्तु पूंजीगत व्यय रोजगार पैदा करने और आय बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है इसीलिए उपभोग व्यय में कमी आयी। सरकार ने जिस प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों का बंटवारा किया है और पुरानी नीतियों को जारी रखने का संकेत दिया है उससे नीतियों में बजट के दौरान बहुत बदलाव की संभावना नहीं है। आशा है कि सरकार राजकोषीय संतुलन को साधते हुए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं लाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को तेज करने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही उन क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश बढ़ाने पर अधिक फोकस करेगी जहाँ रोजगार सृजन की संभावना अधिक है।

रोजगार और आय बढ़ाने के ठोस उपायों की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय नीति के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके पूंजी निर्माण में वृद्धि करना और राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत करना है।सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय को कम करके अपने व्यय करने की प्रवृति में थोड़ा बदलाव किया। समग्र बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कोरोना काल के लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर अब 23 प्रतिशत से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2023 -24 में लगातार बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया। सापेक्षिक रूप से, खाद्य सब्सिडी, मनरेगा, और पीएम किसान जैसे कुछ प्रत्यक्ष कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन 1.7 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हो गया।

इन वर्षों में, पूंजी निर्माण तेजी से बढ़ा है -वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2023 -24 के बीच इसमें 29.5 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, उपभोग, जो अर्थव्यवस्था का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है,में केवल 17.5 प्रतिशत की संचयी वृद्धि ही हुई। अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों से उपभोग की मांग के बीच गंभीर विरोधाभास के भी प्रमाण हैं। आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग ने विभिन्न प्रीमियम वस्तुओं और सेवाओं की मजबूत मांग दिखाई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मांग अभी तक कोविड के झटके से उबर नहीं पाई है। पूंजी निर्माण और निर्माण गतिविधि में विस्तार रोजगार पैदा करने के बजाय अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी संचालित रहा है। पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के लगातार दबाव के बावजूद, उपभोग और मांग में मजबूत वृद्धि नहीं होने के कारण निजी निवेश में कोई भी सार्थक वृद्धि नहीं हो रही है।

इसलिए,बजट में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व्यय के पुनः‹हृश्ठ्ठद्र› आवंटन की एक उचित नीति की आवश्यकता है। चुनाव में झटका खायी मोदी सरकार द्वारा इसीलिए अगले बजट में आवास, ग्रामीण सड़कें, आजीविका बढ़ाने आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटित किया जा सकता है या मांग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू क्षेत्र पर करों में छूट दी जा सकती है, जो आवश्यक भी है।

रोजगार पर फोकस

चुनाव का सन्देश बड़ा स्पष्ट है कि जब तक आर्थिक संमृद्धि का लाभ समाज के निचले वर्ग के वंचितों और बेरोज़गारों तक नहीं पहुंचता है तब तक वे भारत के सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकते। बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसरों के लिए सरकार को प्रयास करना ही होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी वास्तविक आय में लगातार वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि के साथ तेज गति से उत्पादक रोजगार तैयार करने पर बजट को फ़ोकस करना चाहिए। रोजगार में वृद्धि कार्यकारी आयु के लोगों में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए।

रोजगार सृजन के लिए सिर्फ आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर रहने की जगह तेज रोजगार सृजन के द्वारा आर्थिक संवृद्धि तेज करने की रणनीति पर चलना होगा। सरकार पहले ही निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर पूंजीगत व्यय कर रही है, अब बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए।भौतिक और डिजिटल अधोसंरचना में सुधार तथा ई-कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों के तेजी से विस्तार का उपयोग करके अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मध्य वर्ग को कर में राहत आवश्यक

सापेक्षिक रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर मध्य वर्ग पर करों का भार सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में व्यक्तिगत आयकरदाता के लिए वास्तविक कर भार में बढ़ोत्तरी हुई है। इस समय आय कर का योगदान निगम कर से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध निगम कर 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि शुद्ध आयकर 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसीलिए आय कर में छूट की अपेक्षा कई वर्ष से की जा रही है। 5 लाख से 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को राहत देने की आवश्यकता है। अभी ये लोग 5 लाख से 15 लाख तक 5 से 20 प्रतिशत की कर दर और 15 लाख से ऊपर आय वाले करदाता 30 प्रतिशत की कर दर का सामना कर रहे हैं। वेतनभोगी वर्ग के लिए उनके वेतन और ग्रैच्युटी पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की राशि को बढाकर एक लाख रूपये कर देना चाहिए।

गायों पर कार्बन टैक्स डेनमार्क पूरी दुनिया में पहला

डेनमार्क कृषि पर दुनिया का पहला कार्बन कर लगाने जा रहा है, जिसमें मवेशी पालकों से उनकी प्रत्येक गाय से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए प्रति वर्ष लगभग 100 वसूला जाएगा

पशुधन से वैश्विक उत्सर्जन में 11% की हिस्सेदारी है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई गायों से होता है।

प्रमुख पोर्क और डेयरी निर्यातक डेनमार्क 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इससे डेनमार्क कृषि पर COW टैक्स लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इससे अन्य देश भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे।लेख में कहा गया है कि यह टैक्स, जिसे पहली बार फरवरी में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने प्रस्तावित किया था, डेनमार्क को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% कम करने के कानूनी रूप से बाध्यकारी 2030 लक्ष्य को

प्राप्त करने में मदद करेगा। सोमवार की देर शाम, सरकार ने किसानों, उद्योग, श्रमिक संघों और पर्यावरण समूहों के साथ खेती से जुड़ी नीति पर समझौता किया, जो देश में COW उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स के कराधान मंत्री जेप्पे ब्रूस ने कहा, हम कृषि पर वास्तविक COW टैक्स लगाने वाले दुनिया के पहले देश होंगे। अन्य देश इससे प्रेरित होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों को उम्मीद है कि व्यापक सहमति के बाद विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

इस सौदे में किसानों पर 2030 में COW के प्रति मीट्रिक टन पर 300 डेनिश क्राउन (43.16) का कर लगाने का प्रस्ताव है, जो 2035 तक बढ़कर 750 क्राउन हो जाएगा।

इसके बदले में, किसानों को 60% की आयकर कटौती का हकदार बनाया जाएगा, जिसका अर्थ है कि प्रति मीट्रिक टन वास्तविक लागत 120 क्राउन से शुरू होगी और 2035 तक 300 क्राउन तक बढ़ जाएगी, रॉयटर्स की रिपोर्ट। कृषि कार्यों में समायोजन का समर्थन करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। डेनिश किसानों ने चिंता व्यक्त की थी कि जलवायु लक्ष्य उन्हें उत्पादन कम करने और नौकरियों में कटौती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन रॉयटर्स ने कहा कि किसानों ने कहा कि समझौता उनके व्यवसाय को बनाए रखना संभव बनाता है।

इस महीने की शुरुआत में, न्यूजीलैंड ने किसानों से प्रतिरोध का सामना करने के बाद इसी तरह का कर लगाने की योजना को खारिज कर दिया।

नये कानूनों के पालन के लिए क्राइम ब्रांच में क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट गठित

भोपाल। नये कानूनों के पालन और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिये क्राइम ब्रांच ने सोमवार को क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट का गठन किया है। यह यूनिट 30 दिनों में संगठित अपराधियों को चिन्हित कर जानकारी तैयार करेगी। क्राइम ब्रांच भोपाल मे विगत 10 वर्षों में चिन्हित गैंग और उनके नेटवर्क पर कार्यवाही करेगी। गैंग के सदस्यों के स्वयं व अन्यों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी।

क्राइम ब्रांच भोपाल में संगठित अपराध सिंडीकेट के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मध्यप्रदेश में एक जुलाई 2024 से लागू नये कानूनों के आधार पर भोपाल में चिन्हित किये गये गैंग के विरूद्ध पहली प्रभावी कार्यवाही करते हुऐ अज्जू शूटर गैंग के सदस्यों के खिलाफ शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा-111 के तहत संगठित अपराध सिंडीकेट के विरूद्ध मध्यप्रदेश की पहली एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच भोपाल को शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनांक 01 जुलाई 2024 की रात्रि लगभग 12.10 बजे कुख्यात अज्जू शूटर गैंग के सदस्यों द्वारा फरियादी को पुराने केस में समझौता करने दबाव देने की नीयत से धमकाकर अश्लील गालियां देकर प्रताड़ित किया एवं फरियादी द्वारा दर्ज कराये गये केस में खर्च की गई धनराशि एक लाख रुपये की अवैध रूप से मांग की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए अन्जू शूटर गैंग के सदस्य सागर सिरसाट व अन्य सदस्यों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 308 (5) एवं 111 में गंभीर प्रकरण दर्ज कर सरगर्मी से आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है, शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लंबी अवधि के लिये जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अज्जू शूटर गैंग के 08 अपराधियों के खिलाफ भोपाल जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, अड़ीबाजी, छुरीबाजी, धमकियां देकर अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट, रास्ता रोककर गालियां देना, बलवा जैसे लगभग 40 से अधिक गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। गैंग के सदस्य अजय शेजवाल, शुभम सरदार तथा बच्चा उर्फ सचिन पवार पूर्व से अन्य अपराध में जेल में है। गैंग के अन्य सदस्यों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा-111 तथा 112 में संगठित अपराध सिंडीकेट (आपराधिक गैंग/गैंगस्टर्स) के विरूद्ध कठोर दंड के प्रावधान है।

इसमें आजीवन कारावास तक की सजा एवं लाखों रुपये के जुर्माने के प्रावधान हैं। इन धाराओं में संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों (गैंग) के सदस्यों द्वारा लगातार विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली के लिये प्रताडना, भूमि हथियाना (भूमाफिया), ठेके पर हत्या करना (सुपारी किलिंग), आर्थिक अपराध, साय बर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं के दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिये दुर्व्यापार, चोरी, छल व धोखाधड़ी, जुआ खेलने, विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का विक्रय करना व अन्य अपराध शामिल हैं। इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुडे अपराधी भी शामिल हैं।

इस नये कानून में आदतन अपराधियों, गुण्डों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई के प्रावधान किये गये हैं, जिनमें पुलिस को तत्काल प्रथम सूचना दर्ज कर समय-सीमा में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना होंगे। पीड़ित एवं गवाहों को सुरक्षा प्रदाय की जावेगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी समयबद्ध विचारण कर शीघ्र निर्णय किया जावेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट एक माह में भोपाल में चिन्हित किये गये 15 गैंग के लगभग 150 अपराधियों की जानकारी तैयार करेगी कि इन अपराधियों द्वारा तथा इनके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोगियों के आपराधिक कृत्यों से क्या-क्या चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई है। इस क्राइम इन्टेलिजेंस यूनिट द्वारा आर्थिक अपराध, भूमाफिया तथा सायबर अपराधों तथा जुआ, सट्टा संचालित करने वाले ऐसे संगठित अपराधियों, जो भोपाल के साथ-साथ प्रदेश, देश अथवा विदेश मे रहकर देश में जुआ, सट्टा खिलाते है उन पर तकनीकी साधनों/माध्यमों से पैनी निगाह रखी जाकर उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जावेगा। संगठित अपराधियों से निपटने के लिये सरकारी विभागो जैसे रजिस्ट्रार, बैंक, राजस्व, शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड्स, आईसीजेएस, सीसीटीएनएस, एनसीआरबी इत्यादि से जानकारी संकलित कर सफेद पोश, सिंडीकेट के अपराधियों पर नकेल कसी जायेगी। संकलित जानकारी के आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा नये कानून की धारा-111, 112 के तहत इन आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराने की कार्रवाई कराई जायेगी।

प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण भारत के रहस्यों पर होना चाहिए शोध-डॉ भागवत

गाजीपुर। भारत सदैव से विविधताओं से परिपूर्ण देश रहा है। प्राकृतिक सम्पदाओं से लेकर यहां की लोक-रीति परम्पराएं सदैव लोक कल्याणकारी रही हैं। यहां के प्राकृतिक सम्पदाओं के रहस्यों पर शोध होना चाहिए। यह बातें सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन मधुकर भागवत ने सिद्धपीठ हथियाराम मठ में दर्शन पूजन के बाद कैलाश भवन में उपस्थित विशिष्ट लोगों से सामान्य बातचीत के दौरान कही।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत गाजीपुर के एक दिवसीय यात्रा पर सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे थे। जहां वह कैलाश भवन में ठहरे। सामान्य चर्चाओं के दौरान डॉ.भागवत ने कहा कि वन क्षेत्र में आदिवासी समाज आज भी वनों की

उपज से अपना पेट भरता है। उनमें वह कौन सी ताकत पाई जाती हैं, इन विषयों पर भी शोध होना चाहिए।

उन्होंने कहाकि देश में तमाम ऐसी औषधीय व खाद्यान्न हमें प्रकृति देती है जो काफी लाभप्रद होता है। हमें अपने परंपरा, प्राकृतिक स्रोत, संसाधन, संस्कृति, लोकरीति पर शोध ही नहीं करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इसके पूर्णता से अवगत भी कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का माटी से जुड़ाव होना नितांत आवश्यक है। जिससे समाज राष्ट्र का कल्याण संभव है। इस दौरान प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद, राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह, सुनील सिंह, सानंद सिंह, डॉ संतोष यादव, संतोष मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में, डेढ़ घंटे में दर्ज हुई 10 एफआईआर

भोपाल। देशभर में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो चुके हैं। एडीजी लॉ एण्ड आर्डर जयदीप प्रसाद ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। यही वजह है कि पहले ही दिन नए कानूनों के आधार पर फरियादियों की शिकायत सुनी गई और एफआईआर दर्ज की गई। मध्यप्रदेश की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12 बजकर 16 मिनट पर दर्ज की गई। प्रदेश की दूसरी एफआईआर भोपाल के निशातपुरा थाने में रात 12 बजकर 20 मिनट पर, वहीं तीसरी एफआईआर भी भोपाल के शाहजहांनाबाद थाने में रात 12 बजकर 22 मिनट पर दर्ज की गई है। प्रदेशभर में रात एक बजकर 36 मिनट तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से आठ भोपाल में हुईं। वहीं एक एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाने में 12 बजकर 24 मिनट और सागर में रात एक बजकर 36 मिनट पर दर्ज की गई।

अपशब्द और मारपीट पर एफआईआर

प्रदेश की पहली एफआईआर हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। इस एफआईआर में फरियादी प्रफुल्ल पुत्र जयनारायण चौहान ने पुलिस को बताया कि पुरानी बात पर राजा उर्फ हरभजन ने उसे गालियां दीं। वहीं, रात 12 बजकर 20 मिनट पर निशातपुरा थाने में भैरव पुत्र पूरनलाल साहू ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में फरियादी ने बताया कि मैं सीआईए गेट के पास रात में खड़ा था। तभी वहां मनीष शिल्पकार पहुंचा और मुझसे शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। पैसे न देने पर मनीष ने मुझे गालियां दी और थप्पड़ मार दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रदेश की तीसरी एफआईआर शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज की गई। दरअसल रात में बड़ा बाग कब्रिस्तान मस्जिद के पास आरोपित गौतम और गणेश आपस में झगड़ कर हंगामा कर रहे थे। जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

अनूठे तरीकों से किया नए कानूनों का स्वागत

नए कानूनों के संबंध में प्रदेश के सभी थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न थानों में माननीय न्यायधीशों, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों को नए कानून के संबंध में जागरूक किया। सभी थानों को सुसज्जित किया गया। रंगोली सजाई गई। फूलों और गुब्बारों से परिसर को सजाया गया। बैंड-बाजों के साथ नागरिकों का थाने में स्वागत किया गया। नागरिकों को मिठाइयों का वितरण किया गया। नए कानूनों के संबंध में जागरुकता संबंधी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए। शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से भी लोगों को नए कानूनों में जानकारी दी गई। वहीं सोशल मीडिया के अधिकृत हैंडल्स पर भी जागरुकता संबंधी पोस्ट किए गए।

देश के पहले आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाने में हुआ पुलिस एवं जनता का संवाद

देश के पहले आईएसओ प्रमाणित भोपाल के महिला थाने में नए कानूनों के संबंध में पुलिस एवं जनता का संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। यहां वक्ताओं ने बताया कि नए कानूनों में महिला व बच्चों के अधिकार बढ़ गए हैं। अब महिला व बच्चों के साथ अपराध होने पर त्वरित जांच व सुनवाई होगी। महिला संबंधी मामलों में अब वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को भी अब समय सीमा में मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं और जिज्ञासाएं जाहिर की, जिनका उपस्थित अतिथियों ने निराकरण किया।

न्याय केंद्रित कानून को लागू करने में मध्यप्रदेश पुलिस तैयार

दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित कानून को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस छह महीनों से लगातार प्रयास कर रही थी।

आरक्षक से लेकर आला अधिकारियों तक सभी को नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया गया। तीनों कानूनों के बारे में 302 मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा 60 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 31 हजार से अधिक विवेचना अधिकारी शामिल हैं। विशेष रूप से नए कानूनों में तकनीक के महत्व को बढ़ाया गया है। इस दृष्टिकोण से प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस का संचालन करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मूलभूत सुविधाओं के आधार पर दें कालोनी पूर्णता का प्रमाण पत्र

उज्जैन। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा नई कालोनियों को पूर्णता प्रमाण पत्र तभी दिये जाये जब कालोनी में सम्पूर्ण मूल भूत सुविधाएं कोलोनाइजर द्वारा जुटा ली हो तथा नगर निगम में विकास शुल्क जमा करवा दिया गया हो।

यह निर्देश योजना एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर श्री मुकेश टटवाल ने दिये। नगर निगम कार्यालय में विभाग प्रभारी डा. योगेश्वरी राठौर की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री टटवाल ने कहा कि सड़क, पानी बिजली एवं बारिश के पानी की निकासी, उद्यान निर्माण आदि का परीक्षण करने के उपरांत ही कोलोनाइजर को पुर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये। देखने में आ रहा है कि कई कालोनीयों में बारिश के पानी की निकासी का प्रावधान ही नहीं है जिन कालोनियो को इस वर्ष पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं उनका मुआयना करने का निर्देश आपने संबंधित अधिकारियों को दिये।

आपने जानकारी चाहि कितनी अवैध कालोनीयो को नोटिस दिये है सूची उपलब्ध कराये, परमिशन के विरूद्ध निर्माण एवं कालोनियो को लेकर भवन निरीक्षक एवं भवन अधिकारियो को नोटिस तामील करवाये जाये, श्री टटवाल ने बताया कि कई ऐसी कालोनिया है जिनमे परमिशन के विरूद्ध निर्माण हो रहे है वहां भवन अधिकारी त्वरीत कारवाई करें, कितनी कालोनियो का विकास शुल्क जमा कराया गया है जानकारी उपलब्ध करायी जाये। श्री टटवाल ने निर्देश दिये कि शहर के सभी कोलोनाइजर की एक बैठक शीघ्र आमंत्रित की जाये आगामी दिनो में वृहद पैमाने पर पौधारोपण करवाया जाना है कालोनियों के बगीचो एवं सड़कों के किनारे जिसकी रूपरेखा बैठक में उद्यान विभाग के साथ तय की जायेगी और अब भविष्य में जब भी कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र देने के पहले कालोनी को ठीक से निरीक्षण कर लिया जाये।

दीक्षारंभ अंतर्गत हुआ प्रवेशोत्सव

उज्जैन। शासकीय विधि महाविद्यालय में 1 जुलाई को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक तीन दिवसीय दीक्षारंभ के अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अरूणा सेठी ने की। मुख्य अतिथि पूर्व छात्र एवं आदित्य मानव गैर सरकारी संगठन से डॉ. अंजना शुक्ला रही। आपने छात्रों के बीच ओजस्वी, प्रभावपूर्ण एवं प्रेरणास्पद संभाषण दिया।

कार्यक्रम में एलएलबी एवं एलएलएम के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के साथ वर्तमान एवं पूर्व वरिष्ठ छात्रों ने भी भाग लिया एवं अपने विचार रखे। कार्यक्रम में समस्त शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आभार डॉ. असीम शर्मा ने व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने की 111 वीं 'मन की बात'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन महीने बाद 111वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैंने आपको तीन महीने पहले कहा था कि मैं फिर मिलूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर हर देशवासी अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए और धरती मां को बचाए।पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहे मौसम के लिए पौधारोपण को जरूरी बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 25 फरवरी को आखिरी 110वां एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात रेडियो कार्यक्रम भले ही कुछ महीनों के लिए बंद हो गया हो...लेकिन मन की बात की भावना...देश, समाज के लिए किया गया काम, हर दिन किया गया अच्छा काम, निस्वार्थ भाव से किया गया काम...वह काम जिसमें एक समाज पर सकारात्मक प्रभाव निरंतर जारी रहा।

मैं आज देशवासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अटूट विश्वास दोहराया है। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव नहीं हुआ है, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हों. मैं चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि 30 जून का दिवस आदिवासी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह 1857 की क्रांति से पहले हुई थी। हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ अंग्रेजों ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। इस लड़ाई में झारखंड के वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी मां के कर्ज को कभी चुका नहीं सकते। मां हर किसी के जीवन में अहम होती है। इसलिए हम इस बार एक नई शुरुआत करे। अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं और तस्वीरें मुझे भेजें। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि हर देशवासी अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर धरती मां की रक्षा करे।

पीएम मोदी ने कहा, आज मन की बात में मैं आपको एक विशेष प्रकार की छतरी के बारे में बताना चाहता हूं। ये छतरियां हमारे केरल में बनती हैं। केरल की संस्कृति में छतरियों का एक विशेष महत्व है। छतरियां वहां की कई परंपराओं और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन मैं जिस छतरी की बात कर रहा हूं वह कार्थुम्बी छतरियां है और ये छतरियां केरल के अट्टापडी में बनाई जाती हैं। इन छतरियों की मांग पूरे देश में बढ़ रही है, इन्हें ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है। ये छतरियां वट्टालक्की सहकारी कृषि समिति की देखरेख में बनाई गई हैं। ये वोकल फॉर लोकल का आदर्श उदाहरण है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगामी ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही भारतीय दल से मिलने वाला हूं। आप भी अपने-अपने तरीके से भारतीय टीम को शुभकामनाएं संदेश भेजें। आपकी उम्मीदें रंग लाएंगी और हम खेल में भी लगातार आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ढेरों बधाई। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। मेरी सभी से फोन पर बात भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में अपने राष्ट्रीय कवि की 300वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 मशहूर कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की थीं। यह गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। जून के महीने में, दो कैरेबियाई देशों सूरीनाम और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस ने 5 जून को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी भारतीय विरासत का जश्न मनाया। हर साल भारतीय आगमन दिवस और प्रवासी दिवस के रूप में यहां हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति आज दुनियाभर में प्रसिद्धि पा रही है और इस बात से किस भारतीय को खुशी नहीं मिलेगी। निसंदेह हम सभी गौरवान्वित हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस महीने पूरी दुनिया ने पूरे जोश और उत्साह के साथ 10वां योग दिवस मनाया। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में मैंने भी हिस्सा लिया। कश्मीर में युवाओं के साथ-साथ बहन-बेटियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

उज्जैन। मा. प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने हेतु एक पौधा मां के नाम-हर घर पौधारोपण अभियान का आरंभ अपनी मां के नाम से एक पौधा का रोपण कर किया गया है। मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किये गए इस अभियान के तहत नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा भी जनसहयोग के साथ वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण कार्यक्रम में जनभागीदारी को सुनिश्चित किये जाने तथा कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक रविवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री रविराय एवं आयुक्त श्री आशीष पाठक की उपस्थित में शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक,धार्मिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आयोजित की गई।

एक पौधा मां के नाम अभियान हेतु संस्थाओं से प्राप्त किये सुझाव

बैठक समाप्ति उपरांत अभियान का शुभारंभ करते हुए हर घर पौधा रोपण की दशा में उपस्थित नागरिकों को विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री रविराय एवं आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा बेलपत्र का पौधा भेंट किया गया।

बैठक के आरंभ में आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा एक पौधा मां के नाम - हर घर पौधारोपण अभियान की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हुए पौधारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य, स्थल चयन सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्रजन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

आपने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा 1 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य रखा गया है जिससे आप सभी से प्राप्त सुझावों के आधार पर बड़ाया भी जा सकता है। नगर निगम द्वारा सीएसआर के माध्यम से बड़े पेड़ की व्यवस्था की जा रही है, अनेक संस्थाएं स्वयं आगे आकर पौधे उपलब्ध कराने के साथ ही उनके देखरेख की जिम्मेदारी उठाने के लिए सम्पर्क कर रहे है, हमारे द्वारा पौधारोपण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें आपके सुझावों अनुसार वृद्धि की जा सकती है

झोन क्र. 1 अन्तर्गत लगभग 8 से 10 हजार पौधारोपण का लक्ष्य।

झोन क्रं. 2 अन्तर्गत लगभग 5 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। झोन क्र. 3 अन्तर्गत लगभग 5 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। झोन क्र. 4 अन्तर्गत लगभग 4 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। झोन क्र. 5 अन्तर्गत लगभग 10 से 12 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। झोन क्र. 6 अन्तर्गत लगभग 15 से 20 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। कपिला गौशाला में 5000 पौधारोपण का लक्ष्य।एसटीपी प्लांट सुरासा एवं सदावल की रिक्त भूमि पर 4 से 5 हजार पौधारोपण का लक्ष्य। पुरूषोत्तम सागर, क्षिप्रा नदी के किनारे, चक्रतीर्थ सहित 15 से 20 बड़े उद्यानों को भी पौधारोपण हेतु चयनीत किया गया है।

विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा द्वारा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस अभियान अन्तर्गत हमे प्रत्येक घर पर 5 पौधे रोपण का संकल्प लेना चाहिए, आपने कहा कि पौधेरोपण उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां उनकी सुरक्षा के साथ उनकी देख रेख हो सके।

महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन शहर को पौधारोपण की अत्यंत आवश्यकता है हमारा शहर मध्यप्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रों में आता है हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि बिना वजह पेड़ों की कटाई ना करें, सड़क निर्माण के समय रोटरियों का निर्माण सीमेंट कांक्रिट का ना करें तथा जो पौधा संस्था द्वारा रोपा जा रहा है उसकी देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वह संस्था स्वयं निभाएं। निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव ने कहा कि इस अभियान अन्तर्गत हम एक पौधा रोपे या 1 लाख सबसे जरूरी बात यह है कि उनका संरक्षण एवं देखरेख सही तरीके से हो।

यदि हम 1 लाख पौधो का रोपण करते है और उन्हें पेड़ बनादेते है तभी यह अभियान सफल कहलाएगा। आपने कहा कि पौधा लगाने से लेकर उसको बड़ा करने तक की जिम्मेदारी पौधा लगाने वाले की है।

नेताप्रतिपक्ष श्री रवि राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दशा में यह महत्वपूर्ण अभियान है हमारे द्वारा भी पौधो रोपण हेतु स्थल चयन किया गया है, श्री राजीव पाहवा ने कहा कि आप जो भी भूमि अथवा उद्यान हमें देंगे हम वहां पर पौधारोपण करने से लेकर उन्हें बड़ा करने तक की जिम्मेदारी निभाएंगे, श्री प्रमोद व्यास द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा एक पौधा रोपण वाहन आरंभ किया जा रहा है जिस पर लिखे नम्बर पर सम्पर्क कर कही भी इसके माध्यम से पौधा रोपण किया जा सकेगा। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य श्री सत्यनारायण चौहान, पार्षद श्री पंकज तिवारी, सहित अन्य उपस्थित संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा सुझाव दिए गए।

बैठक में एमआईसी सदस्य श्री रजत मेहता, श्री अनिल गुप्ता, श्री सत्यनारायण चौहान, श्री कैलाश प्रजापत, झोन अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास, श्री सुरेन्द्र मेहर, श्रीपुरूषोत्तम मालवीय, पार्षद श्री गजेन्द्र हिरवे, श्रीमती निर्मला करण परमार, श्री पंकज चौधरी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं निगम सहायक आयुक्त श्री प्रदीप सेन, श्रीमती पुजा गोयल, कार्यपालन यंत्री श्री पीयुष भार्गव सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दुनिया मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रही

दुनिया मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रही है, जिस पर तलवार की नोक पर धर्मांतरण करने का आरोप है। एक खामोश क्रांति चल रही है, जिसके बारे में हममें से कोई भी जानना नहीं चाहता। यह इतनी सहज और सुनियोजित है कि लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है और वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। कई ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और जनजातियों को निशाना बना रही हैं। इन मिशनरियों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनकी वित्तीय और सहायता प्रणाली है। दो से अधिक वर्षों से, कई ईसाई मिशनरियों ने सनातन धर्म को मिटाने और भारत में ईसाई धर्म को स्थापित करने की कोशिश की है। 19वीं सदी के मिशनरी और आज के मिशनरी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पहले वाले ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की, जबकि बाद वाले स्पष्ट कारणों से चुप हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार, अधिकांश भारतीय ईसाई (54%) कर्म में विश्वास करते हैं, जो ईसाई अवधारणा नहीं है। कई भारतीय ईसाई पुनर्जन्म (29%) और गंगा नदी की शुद्धिकरण शक्ति (32%) में भी विश्वास करते हैं, जो दोनों ही प्रमुख हिंदू सिद्धांत हैं। भारतीय ईसाइयों के लिए अन्य धर्मों से जुड़ी प्रथाओं का पालन करना भी लोकप्रिय है, जैसे दिवाली मनाना (31%), या माथे पर बिंदी लगाना (22%), जिसे आमतौर पर हिंदू, बौद्ध और जैन महिलाएं पहनती हैं। वे आधिकारिक तौर पर भारत की आबादी का केवल 2.5% हिस्सा हैं। दक्षिण भारत देश के लगभग आधे ईसाइयों का घर है, भारत के विरल आबादी वाले पूर्वोत्तर में ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, जहाँ अधिकांश ईसाई आदिवासी समुदायों के सदस्य हैं।

भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा धर्मांतरण

यह विश्लेषण क्या कहता है। आधिकारिक संख्या और अध्ययनों के अनुसार, सभी धर्मांतरित लोगों में से आधे से अधिक हिंदू हैं। एक परेशान करने वाली और चिंताजनक सच्चाई यह है कि, इन औपचारिक धर्मांतरित लोगों के अलावा, कई एससी, एसटी और अन्य हाशिए पर पड़े गरीब लोग जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना धर्म नहीं बदला है क्योंकि उन्हें डर है कि वे सरकारी लाभ खो देंगे, जिसका अर्थ है कि कुल धर्मांतरण बहुत अधिक है। धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन यह जानबूझकर हिंदुओं, देवताओं और संस्कृति के प्रति घृणा पैदा करके किया जाता है। यह मानवता के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? समाज के लिए सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, अन्यथा यह हमारे समाज के दुर्बलों की सेवा यानी भगवान की सेवा होने के झूठे विश्वास की आड़ में मानवता और सनातन संस्कृती को खत्म करने की एक और चाल है।

धर्मांतरण का मुख्य लक्ष्य भारत पर शासन करने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम करना है। दुर्भाग्य से, संविधान में अभी भी इन धर्मांतरित हाशिए के ईसाइयों के लिए आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान शामिल नहीं है। बहुसंख्यक धर्मांतरित लोग ईसाई कट्टरपंथियों की तरह काम करते हैं। उन्हें दूसरों को प्रेरित करना सिखाया जाता है। वे अपनी विवेकपूर्ण सोच कौशल खो चुके हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करें। उनमें से कई मंदिर से मिठाई नहीं खाते, मंदिर परिसर में नहीं जाते, अपने घरों या कार्यस्थलों में भगवान की छवियों की उपस्थिति पसंद नहीं करते और त्योहारों पर दूसरों को बधाई नहीं देते। ईसाई विशेषज्ञ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धार्मिक शिक्षा देते हैं। ब्रेनवॉशिंग बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। नए धर्मांतरित व्यक्ति शायद ही कभी धार्मिक कार्यक्रमों या रविवार की प्रार्थनाओं को छोड़ते हैं। उनकी जीवनशैली धार्मिक शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है। शुरुआत में कुछ दिनों के लिए, धर्मांतरित लोगों को आमतौर पर पैसे या अन्य उपहार मिलते हैं। धर्मांतरित व्यक्ति आमतौर पर उन लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास करते हैं जो उनके करीब हैं या जिन्हें समस्याएँ हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग के समान ही काम करता है।

अब्राहमिक धर्मों में एक बुनियादी नियम है-अपने धर्म को एकमात्र सच्चे धर्म के रूप में फैलाना। एक धर्मनिष्ठ ईसाई का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करके, वह उन्हें अनंत नरक से बचा रहा है। ईसाई धर्म के पास प्रभावी विपणन तंत्र है। गरीबी, झूठे आख्यान और ज्ञान की कमी गरीब हिंदुओं को ईसाई मिशनरियों को अपनी पारंपरिक मान्यताओं को छोडने के लिए प्रेरित करती है। ईसाई लगभग कुछ भी न करने के बदले में अनंत जीवन का सौदा करते हैं। जो हिंदू सनातन धर्म से परिचित नहीं हैं, उन्हें ईसाई धर्म अधिक तार्किक लगता है और वे तर्कों में आसानी से पराजित हो जाते हैं। पश्चिमी और गोरे लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर चीज़ अच्छी है, भले ही हीन मानसिकता हो।

ईसाई चर्च के एक पादरी जो मानवता में विश्वास करते हैं और धर्मांतरण का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा, भगवान की पूजा करने का केवल एक ही तरीका बताकर इस दुनिया को उबाऊ क्यों बनाया जाए? यह दुनिया हर चीज में विविधता से परिभाषित होती है। भगवान ने इस तरह से पृथ्वी का निर्माण किया है, तो आप इसकी विविधता और सुंदरता को क्यों खत्म करना चाहते हैं? हिंदू धर्म में बहुत विविधता और सुंदरता है और यह परंपरा विश्व धर्म विविधता की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि आप भारत से हिंदू धर्म को हटाते हैं, आप भारत की आत्मा को लूटते हैं, जो अपनी विविधता से प्रतिष्ठित है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाता है। किसी भी स्थिति में मेरे इसाई भाइयों, दुनिया में पहले से ही बहुत सारे ईसाई हैं।

किसी भी ऐसे मिशनरी संस्था, संघटना को वित्त पोषण देना बंद करें जो खुद को सेवाभावी के रूप में पेश करते हैं और वेटिकन के सभी वित्त का उपयोग लोगों को जबरन ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने और उन्हें लुभाने के लिए करते हैं। हर गांव, कस्बे में गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाले अधिक केंद्रीय विद्यालय बनाएं (एनईपी 2020)।

भगवद् गीता, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर और वह सब सिखाएं जो इस महान राष्ट्र को एकजुट करने और संस्कृति को मजबूत करने में मदद करता है।

ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म में किसी भी जबरन या धर्म-विरोधी विमर्श निर्माण कर धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित करें; देश में नाजायज मिशनरी गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध लगाएं।

विदेशी कार्यकर्ता और एजेंसियाँ किस तरह से फर्जी विमर्श का इस्तेमाल करके सामूहिक धर्मांतरण को अंजाम दे रही हैं और वे हिंदू लोगों को किस तरह से देखते हैं।

समय के संकेत शीर्षक वाले एक वीडियो में, जिसे चर्च ऑफ़ द हाइलैंड्स ने 22 अगस्त, 2022 को अपने आधिकारिक अकाउंट पर अपलोड किया, क्रिस होजेस ने भारत में हिंदू आबादी को खोए हुए लोग के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि उनके एक मिशनरी ने उन्हें बताया कि भारत ग्रह पर उन जगहों में से एक है जहाँ खोए हुए लोगों की सबसे बड़ी संख्या है जो असंबद्ध और अप्राप्य दोनों हैं। उन्होंने उनके लक्ष्य को उजागर किया और बताया कि कैसे भोले-भाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तीत करने के लिए धोखा दिया जाता है। उन्होंने खुद 3,931 आउटरीच टीमों को संगठित किया, जो 15 उत्तरी भारतीय राज्यों में प्रचार करने के लिए बिखर गए और मसीहा के रूप में प्रकट हुए। इसलिए वे बीमारी का बहाना करने वाले, साधारण ईसाइयों पर अपना हाथ रखते थे, और बीमार लोग तुरंत ठीक हो जाते थे।

उन्होंने बताया कि कैसे मिशनरी कमज़ोर लोगों का शोषण करने के लिए भूत-प्रेत के कब्जे के अंधविश्वास का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद, उन्हें धर्मांतरण करना बहुत आसान हो जाता हैं।

जो धर्मांतरण करना चाहते हैं कि वे सनातन धर्म पर गहन शोध करें। यदि कोई हमारे धर्मग्रंथों का अध्ययन करता है, तो निःस्संदेह उन्हें पता चलेगा कि हमारा धर्म अधिक सार्वभौमिक और शांतिपूर्ण है। दूसरों की चिंता न करें। हिंदू धर्मग्रंथों में महारत हासिल करने और अपने पड़ोस में निर्दोष हिंदुओं (बौद्ध, सिख, जैन) की सहायता करने का प्रयास करें ताकि वे इसका महत्व समझ सकें।

यदि व्यक्ति कानून के अनुसार धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे अनुमति है, लेकिन झूठे आख्यानों से उनको दिगभ्रमित करना और उनके अपने धर्म के प्रति गहरी घृणा पैदा करना मानवता के विरुद्ध है। दूसरों का धर्मांतरण करने के उद्देश्य से मानवीय सेवा नहीं की जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम जागें और कानूनी और सामाजिक रूप से इस खतरे का सामना करें।

पत्रकारों से सूत्र पूछने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाई है।

✤ चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकती है। यहां तक की कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।' चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बिना किसी ठोस सबूत और बिना जांच के पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है।'

✤ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरों के कई मामले कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट ने पत्रकारों से खबरों के सूत्र बताने का आदेश भी दे चुके हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद मीडिया जगत में उत्साह है।

✤ जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में किसी विशेष कानून के जरिए पत्रकारों को अधिकार हासिल नहीं हैं। पत्रकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार बाकी नागरिकों की तरह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के अंतर्गत ही मिले हुए हैं।

✤ पत्रकारों को अपने सूत्र को गोपनीय रखने का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। इसमें 15 (2) सेक्शन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी पत्रकार को खबरों के सूत्र की जानकारी के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कानून कोर्ट में लागू नहीं होते हैं। इसके आधार पर कोर्ट में किसी तरह की छूट की मांग नहीं की जा सकती है।

सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नए आपराधिक कानून

(डॉ. मोहन यादव)

भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गेजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफरेंस दिए गए हैं, कॉपिज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी जिक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं।

इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों एवं संघ-शासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफी मेहनत की गई बीते 4 सालों में। खूब विचार विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में हुई 158 बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री शाह उपस्थित रहे हैं।

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा।

गौरतलब है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।

इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस कॉन्फ्रेंसिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

आजादी के 75 सालों के बाद भी दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। तीन साल के बाद हर साल 33 हजार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। साथ ही अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वर्ष 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में इसका सफल प्रयोग किया गया। इसके तहत 7 वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैबरोटरी (एफएसएल) की टीम पहुंचती है। इतना ही नहीं मोबाइल एफएसएल को भी लॉन्च किया गया। बता दें कि यह संकल्पना पूर्ण रूप से सफल है। यही वजह है कि अब हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी।

यौन हिंसा के मामले में भी पहले के कानून में फेर-बदल किया गया है। इसके अंतगर्त यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में इस कानून के तहत लाया जा रहा है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सज़ा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय लंबित नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पुरातन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा पर न्याय पर जोर दिया जाता है।

पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया है। आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीतियों और कार्यों के कारण ये ताकतें अब रक्षात्मक मुद्रा में हैं।इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने यूएपीए समेत संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से संबंधित आतंकी अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों ने अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देकर इस बदलाव को और मजबूत किया है।

(लेखक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।)

कार्तिक मेला आकर्षण का केंद्र बने-महापौर श्री मुकेश टटवाल

उज्जैन। पुण्य सलिला शिप्रा तट पर उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा आयाजित होने वाला परम्परागत कार्तिक मेले आकर्षण का केन्द्र बने इस हेतु मेला का नया लेआउट बनाया जाये। यह निदेश महापौर मुकेश टटवाल द्वारा राजस्व विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियो को दिये गये। राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता की उपस्थिति में आयोजित बैठक में परम्परागत कार्तिक मेला को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया, कार्तिक मेला में दुकानों की संख्या बढ़ाने, फुटकर व्यापारियों, पानी पतासी ठेलों का सेक्टर बनाने के निर्देश दिये। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने निर्देशित किया कि कार्तिक मेला का मुख्य द्वार भव्य एवं आकर्षक बनना चाहिये साथ ही नगर निगम की प्रदर्शनी जिसमें नगर निगम द्वारा शहर में किये गये विकास कार्यो एवं टैक्स इत्यादि की जानकारी हो सुव्यवस्थित रूप से लगायी जायेगी, प्रदर्शनी बनाने का कार्य अभी से प्रारम्भ कर दिया जाए। श्री टटवाल ने कहा कि मेला क्षेत्र में सभी व्यापारियों को स्थान दिया जाये, झुले चकरी का स्थान बदलना हो तो अभी से तय कर लिया जाये, स्वेटर कंबल व्यापारियो को भी एक सेक्टर अलग से बना कर दिया जाये, सुरक्षा के लिए निजी ऐजेंसिया से चर्चा, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगाये जाये, सम्पुर्ण कार्तिक मेला क्षेत्र में कम से कम दो तीन सेल्फी पाइन्ट बनाये जाये।

महापौर श्री टटवाल ने गत वर्ष के आय व्यय की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि कार्तिक मेला मंच पर जनता के लिए स्वस्थ मनोरंजन के लिए रौचक कार्यक्रमों के साथ ही श्री रामलीला एवं श्रीकृष्ण लीला करवाने पर भी विचार विमर्श किया जाए।

धार भोजशाला सर्वे, एएसआई 2 जुलाई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी

उज्जैन। अब तक, 1700 से अधिक कलाकृतियाँ खोजी जा चुकी हैं, जिनमें कई मूर्तियाँ, संरचनाएँ, स्तंभ, दीवारें और भित्ति चित्र शामिल हैं। माना जाता है कि ये खोजें परमार काल की हैं, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक फैली हुई है।

महत्वपूर्ण खोजों में एक गर्भगृह के पास 27 फीट लंबी दीवार है, जिसे पत्थर के बजाय ईंटों से बनाया गया है। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि ईंट निर्माण एक और भी पुराने युग की ओर इशारा करता है, संभवतः मोहनजोदड़ो सभ्यता जितना प्राचीन, यह दर्शाता है कि यह स्थल शुरू में सोचे गए समय से कहीं अधिक प्राचीन हो सकता है। कथित तौर पर, कमाल मौला दरगाह से सटी बाईं दीवार के पास कुरान की आयतों और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों के साथ शिलालेख पाए गए हैं। दीवारों पर युद्ध की तैयारी करने वाले और युद्ध में शामिल योद्धाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्र भी हैं।

यह सर्वेक्षण कोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में कर रहा है

सर्वेक्षण पूरा होने के करीब है, 2 जुलाई को एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसकी सुनवाई 4 जुलाई को होगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में उद्धत सर्वेक्षण में शामिल पुरातत्वविदों के अनुसार, खुदाई के दौरान सैकड़ों कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, स्तंभ, भित्ति चित्र और कुरान की आयतों वाले शिलालेख शामिल हैं। उनका मानना है कि अब तक की खोजों के आधार पर, भोजशाला परमार काल का मंदिर प्रतीत होता है।

विशिष्ट क्षेत्रों से विस्तृत निष्कर्ष

1. **गर्भगृह**-27 फीट गहरी खुदाई में दीवार की संरचना का एक हिस्सा मिला।
2. **सीढ़ियों के नीचे का कमरा**-79 कलाकृतियाँ जिनमें वाग्देवी, सरस्वती, हनुमान, गणेश की मूर्तियाँ, शंख और चक्र शामिल हैं।
3. **उत्तर-पूर्वी कोना और दरगाह का पश्चिम भाग**-कृष्ण, वासुकी नाग और शिव की मूर्तियाँ।
4. **उत्तर-दक्षिणी कोना**-खंभे, तलवारें और दीवारों के 150 नक्काशीदार अवशेष।
5. **यज्ञशाला क्षेत्र**-सनातनी प्रतीकों वाले पत्थर।
6. **दरगाह**-भूमिगत अकाल कुईयाँ की पहचान।
7. **खंभों पर रासायनिक उपचार**-सीता-राम की नक्काशीदार और ओम नमः शिवाय शिलालेखों का पता चला।

राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का विरोध शुरू, संतों ने की नारेबाजी

उज्जैन। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हिंदू वाले बयान का विरोध शुरू हो गया है। उज्जैन में दिगंबर अखाड़ा के संतों ने मंगलनाथ मंदिर रोड पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए।

दरअसल, राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मोदीजी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसका कारण है। ये देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। और वो मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। त्रिशुल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा..नफरत, नफरत, नफरत..असत्य, असत्य, असत्य.. आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है।

इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार देर शाम मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल के बयान से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। देश में नेता प्रतिपक्ष हिंदुओं को लज्जित करेंगे, तो उन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस कारण राहुल गांधी को नाग रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी-सारंग

वहीं, प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं, शर्मनाक भी है। चुनाव के समय राहुल गांधी हिन्दू वोट के लिए खुद को जनेऊ पहनकर हिन्दू प्रदर्शित करते हैं और लोकसभा पहुंच जाते हैं तब हिन्दू धर्म का, हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। ये इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी।

इधर, उज्जैन में राहुल गांधी के बयान को लेकर सोमवार देर शाम दिगंबर अखाड़ा के संतों ने मंगलनाथ मंदिर रोड पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। अखाड़ा के महंत शिवदास त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। सभी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहिष्कार करें। 20 लाख नागा साधु सड़क पर आ गए, तो कांग्रेस को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस इस पर माफी मांगे। नहीं तो संत समाज सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। अखाड़े के विनय दास महाराज ने कहा कि महाकाल की सवारी पर पत्थर कौन फेंकता है? क्या सनातनी इस तरह के काम करते हैं। अखाड़ा के संत मुनिशरण दास त्यागी ने कहा कि राहुल ने ऐसा बयान देकर अपराध किया है। इसकी निंदा करते हैं। आम आदमी को भी इसका विरोध करना चाहिए।

हालात भले जो भी हों हंसते रहा करो

हालात भले जो भी हों हंसते रहा करो,
हों दूरियां भले ही नमस्ते किया करो,
अच्छी है अगर बात तो सुनेंगे सब तुम्हें,
कहने का हुनर है तो कहते रहा करो,
मनहूसियत भरी जो बात करते हैं यहां,
ऐसा है तो वे लोग ही बदल दिया करो,
क्या चल रहा है मार्केट देखते हो क्यों,
तुम अपने मन के गाने, गाते रहा करो,
रिश्तों में प्रेम ही तो जरूरी है सर्वदा,
है ढाई अक्षर साथ तो चलते रहा करो।

● डॉ. राजीव शर्मा बंधु उज्जैन

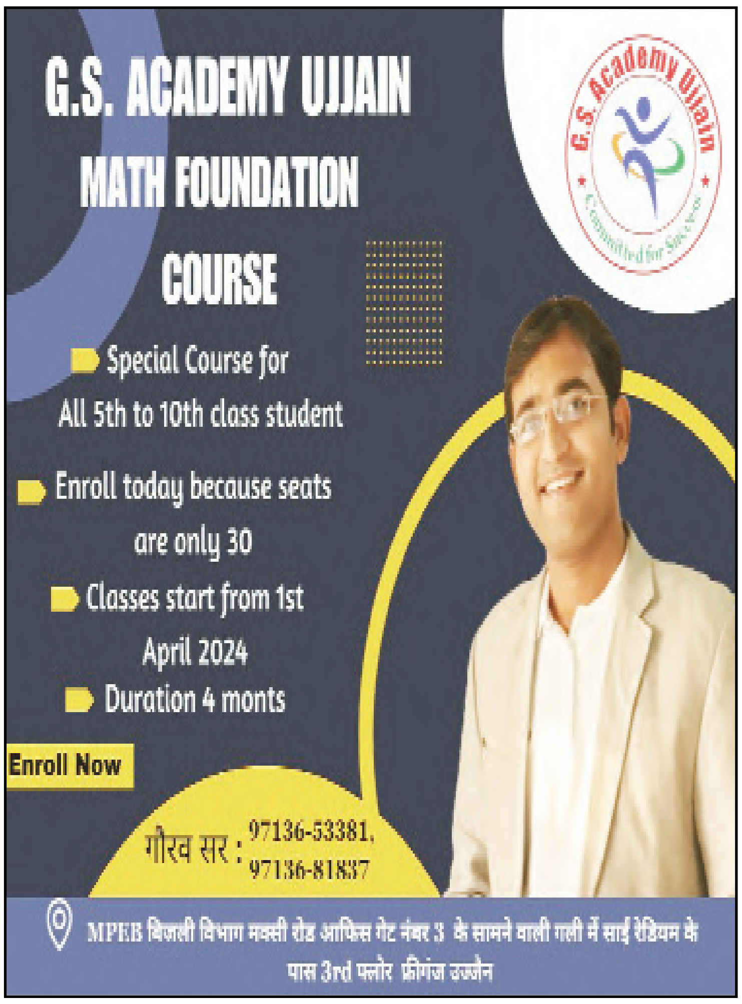

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नत्रक्ष के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।
● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)। (म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)